

13/4/18

वकिल वादी एव वादी स्वय अनुपस्थित। आज उन्हे अदालत
उटने तक ठहर ठहर तीन बार आवाजे लगवाई गई। परन्तु
वादी की और से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया अतः
प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है ।
पत्रावली फैसल शुमार होकर जंबर से कम हो । बाद दफतर
दाखिल हो

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

मसूदा (अजमेर) राज०

